कोर्ट मार्शल

प्रिलिम्स के लिये:

कोर्ट मार्शल, न्यायालयी जाँच (कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी), सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, FIR, दंड प्रक्रिया संहिता।

मेन्स के लिये:

आरोपियों के लिये कोर्ट मार्शल और वैधानिक शरण।

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2020 में जम्मू-कश्मीर के शोपियां ज़िले के अमशीपोरा में तीन लोगों की **हत्या में शामिल एक कैप्टन** को सैन्य न्यायालय द्वारा **आजीवन कारावास** की सज़ा सुनाई गई। हालाँकि उत्तरी सेना के कमांडर द्वारा पुष्टि किये जाने के पश्चात् सज़ा को अंतिम रूप दिया जाएगा।

- **न्यायालयी जाँच (CoI)** के पश्चात् कैप्टन का कोर्ट-मार्शल किया गया था और बाद में सबूतों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि कैप्टन के आदेश के तहत सैनिकों ने **सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम** के अंतर्गत **अपने अधिकार की सीमा को पार किया था।**

कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया:

- जब सेना चाहती है कि उसके कर्मियों के खिलाफ लगे आरोपों की जाँच हो, तो वह पहले इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक न्यायालयी जाँच (CoI) सुनिश्चित करती है।
    - यह चरण पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) **दर्ज करने के समान** है।
- न्यायालयी जाँच शिकायत की पुष्टि करती है **लेकिन सज़ा नहीं दे सकती।** COI गवाहों के बयान दर्ज करती है, जो **दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 161** के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा गवाहों की जाँच के समान है।
- COI के निष्कर्षों के आधार पर आरोपी अधिकारी के लिये **कमांडिंग ऑफिसर द्वारा एक अस्थायी आरोप पत्र तैयार किया जाता है।**
    - उसके बाद आरोपों को सुना जाता है (जैसे नागरिकों से जुड़े मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को प्रारंभिक समन देना) फिर **साक्ष्य का सारांश दर्ज किया जाता है।**
- एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद एक **जनरल कोर्ट मार्शल (General Court Martial- GCM)** को नागरिक मामलों के लिये न्यायिक अदालत द्वारा परीक्षण के संचालन के समान आदेश दिया जाता है।

कानूनी प्रावधान:

- **सेना अधिनियम 1950 की धारा 164 के तहत अभियुक्त एक पूर्व-पुष्टि याचिका के साथ-साथ एक पश्च-पुष्टि याचिका** दायर कर सकता है।
    - **पूर्व-पुष्टि याचिका सेना कमांडर को भेजी जाएगी, जो इसकी विशेषताओं पर विचार करेगा।**
    - **चूँकि अधिकारी को बरखास्त कर उसकी रैंक छीन ली जाती है और उसे सेवा से निकाल दिया जाता है** तथा सेना के कमांडर द्वारा सज़ा की पुष्टि करने के बाद सरकार को सिफारिश की जाती है।
- इन विकल्पों के समाप्त हो जाने के बाद **अभियुक्त सशस्त्र बल अधिकरण का दरवाज़ा खटखटा सकता है,** जो सज़ा को निलंबित कर सकता है।
    - उदाहरण के लिये वर्ष 2017 में अधिकरण ने वर्ष 2010 के माछिल फर्ज़ी मुठभेड़ मामले में दो अधिकारियों सहित पाँच सैन्यकर्मियों को दी गई **उम्रकैद की सज़ा को निलंबित कर दिया था।**

स्रोत: जनसत्ता

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/court-martial